



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

156-2015/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2015 (BHADRA 10, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 1st September, 2015

**No.12-HLA of 2015/ 73/13764.**— The Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 12- HLA of 2015.**

### THE HARYANA VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

A

### BILL

*further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2015.
2. In sub-section (1) of section 2 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (hereinafter called the principal Act),-
  - I. after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(oo) “electronic governance” means the use of electronic medium for,-

    - (i) filing of any form, return, annexure, application, declaration, certificate, memorandum of appeal, communication, intimation or any other document;
    - (ii) creation, retention or preservation of records;
    - (iii) issue or grant of any form including statutory declaration form, order, notice, communication, intimation or certificate; and
    - (iv) receipt of tax, interest, penalty or any other payment or refund of the same through Government treasury or banks authorized by the Government treasury;’;
  - II. for clause (w), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(w) “input tax” means the amount of tax actually paid to the State in respect of goods sold to a VAT dealer, which such dealer is allowed to take credit of as actual payment of tax by him, calculated in accordance with the provisions of section 8;’.

Short title.  
Amendment  
of section 2 of  
Haryana Act  
6 of 2003.

Amendment of  
Section 8 of  
Haryana Act 6  
of 2003.

3. For section 8 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“8. Determination of input tax.- (1) Input tax in respect of any goods purchased by a VAT dealer shall be the amount of tax actually paid to the State on the sale of such goods to him and shall, in case of a dealer who is liable to pay tax under sub-section (1) of section 3 or, as the case may be, makes an application for registration in time under sub-section (2) of section 11, include the tax paid under this Act and the Act of 1973 in respect of goods (except capital goods) held in stock by him on the day he becomes liable to pay tax but shall not include tax actually paid in respect of goods specified in Schedule E used or disposed of in the circumstances mentioned against such goods:

Provided that where the goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in Schedule E and partly otherwise, the input tax in respect of such goods shall be computed pro rata:

Provided further that if input tax in respect of any goods purchased in the State has been availed of but such goods are subsequently used or disposed of in the circumstances mentioned in Schedule E, the input tax in respect of such goods shall be reversed.

(2) A tax invoice issued to a VAT dealer showing the tax charged to him on the sale of invoiced goods shall, subject to the provisions of sub-section (3), be a proof of the tax paid on such goods for the purpose of sub-section (1).

(3) Where any claim of input tax in respect of any goods sold to a dealer is called into question in any proceeding under this Act, the authority conducting such proceeding may require such dealer to produce before it in addition to the tax invoice issued to him by the selling dealer in respect of the sale of the goods, a certificate furnished to him in the prescribed form and manner by the selling dealer and such authority shall allow the claim only if it is satisfied after making such inquiry, as it may deem necessary that the particulars contained in the certificate produced before it are true and correct and in no case the amount of input tax on purchase of any goods in the State shall exceed the amount of tax in respect of the same goods, actually paid under this Act into the Government treasury.

(4) The State Government may, from time to time, frame rules consistent with the provisions of this Act for computation of input tax and when such rules are framed, no input tax shall be computed except in accordance with such rules.”.

Substitution of  
Section 15A of  
Haryana Act 6  
of 2003.

4. For section 15A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“15A. Provisional assessment.- If an assessing authority has reason to believe on the basis of documentary evidence available with him that a dealer has evaded or avoided payment of tax under this Act, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine for any period of the current financial year and any time within a period of six months from the date of detection, the taxable turnover of such a dealer on provisional basis to the best of his judgment and assess him to tax accordingly. The amount of tax so assessed shall be payable by the dealer in accordance with the provisions of section 22. Every deposit of tax under this section shall be adjustable against the liability of the dealer in assessment made under section 15.”.

Amendment of  
Section 16 of  
Haryana Act 6  
of 2003.

5. In section 16 of the principal Act,-

- (i) for the words “three years”, the words “six years” shall be substituted; and
- (ii) in the explanation, for the word “is”, the words “has been” shall be substituted.

Substitution of  
section 17 of  
Haryana Act 6  
of 2003.

6. For section 17 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“17. If in consequence of definite information which has come into its possession, the assessing authority discovers that the turnover of the business of a dealer has been under assessed or has escaped assessment or input tax or refund has been allowed in excess in any year, it may, at any time before the expiry of eight years following the close of that year or within three years from the date of final assessment order, whichever is later, after giving the dealer a reasonable opportunity, in the prescribed manner, of being heard, reassess the tax liability of the dealer for the year for which the reassessment is proposed to be made and for the purpose of reassessment, the assessing authority shall, in case the dealer fails to comply with the terms of the notice issued to him for the purpose of reassessment, have power to reassess to the best of its judgment.”.

7. In the second proviso to sub-section (1) of section 34 of the principal Act, for the words “three years”, the words “six years” shall be substituted.

Amendment of section 34 of Haryana Act 6 of 2003.

8. After Chapter X of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:-

#### **“Chapter-XA**

##### **Electronic governance**

Insertion of Chapter XA in Haryana Act 6 of 2003.

**“54A. Implementation of electronic governance.—** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules framed thereunder, the Commissioner may, by an order, with the approval of State Government, implement electronic governance for carrying out the various provisions of this Act and the rules framed thereunder.

(2) Where an order has been passed under sub-section (1), the Commissioner may, amend or introduce forms for returns, applications, declarations, annexures, memorandum of appeal, report of audit or any other document which is required to be submitted electronically.

(3) The Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend or reduce the period prescribed under the Act and the rules framed thereunder for electronic governance.

**54B. Automation.—** (1) The provisions contained in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and the rules framed and directions given thereunder, including the provisions relating to digital signatures, electronic governance, attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records, secure electronic records and secure digital signatures and digital signature certificates, shall apply to the procedures under this Act and rules framed thereunder for electronic governance.

(2) Where any return, annexure, report of audit, document, application, form including statutory declaration form, certificate, communication or intimation of a dealer is received electronically through the official website, such return, annexure, report of audit, document, application, form including statutory declaration form, certificate, communication or intimation shall be deemed to have been submitted by such dealer with his consent.

(3) Where a certificate of registration, order, form including statutory declaration, certificate, notice or communication is prepared on any automated data processing system and is sent to any dealer, then the said certificate of registration, order, form including statutory declaration, certificate, notice or communication shall not be required to be personally signed by the Commissioner or any other officer subordinate to him and the certificate of registration, order, form including statutory declaration, certificate, notice or communication shall not be deemed to be invalid only on the ground that it has not been personally signed by the Commissioner or any other officer subordinate to him.

9. In section 60 of the principal Act, for the words and signs “website www.haryanatax.com”, the words “official website” shall be substituted.

Amendment of section 60 of Haryana Act 6 of 2003.

10. (1) The Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Ordinance, 2015 (Haryana Ordinance No. 3 of 2015), is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

I. Section 2(1)(w) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 defines “input tax”. “Input tax” means the amount of tax paid to the State by the purchasing dealer to the selling dealer and the purchasing dealer takes credit thereof in accordance with the provisions of Section 8 of the Act. The purchasing dealer in order to claim input tax submits a form VAT ‘C’ 4, a declaration obtained from the selling dealer as a proof of purchase of goods. It is seen that in some cases where the selling dealer does not deposit its tax liability into the Government Treasury, even then under the existing provisions of Section 8, the purchasing VAT dealer can not be denied the benefit of input tax credit on the ground that selling VAT dealer has not deposited the tax.

In order to deny undue advantage of payment of input tax in cases where no tax is actually paid to the Government, it is desired to insert the words, “actually” in Section 2(1)(w), Section 8(1) and Section 8(2). Further in section 8(3) the following is desired to be added:

**“and in no case the amount of input tax on purchase of any goods in the State shall exceed the amount of tax in respect of the same goods, actually paid under this Act into the Government Treasury.”**

II. Sections 15-A, 16, 17 and 34 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003, relate to provisional assessment, assessment of unregistered dealers, re-assessment and revision of assessed cases. Limitation period has been prescribed under these sections within which the assessments or revisions have to be completed. The State Government has decided to extend the limitation period for provisional assessment, assessment of unregistered dealer, reassessment and revision cases so that the cases of builders, developers could be reassessed or revised in accordance with the judgment of Hon’ble Supreme Court in the case of L&T Limited. Further, Hon’ble Lokayukta has also desired that limitation period may be increased by the Government to bring the cases, within limitation of assessment, reassessment and revision.

III. The Excise and Taxation Department is in the process of implementation of electronic governance of the procedures prescribed under the HVAT Act and Rules, 2003. The registration, amendment, cancellation, applications, notices, returns under the computerization system will be submitted online. In order to implement the electronic governance clause (oo) is desired to be added to section 2(1) to define “electronic governance”. A new chapter ‘XA’ is desired to be inserted to the Haryana Value Added Tax Act, 2003. Section 54A, 54B are inserted in the proposed new chapter. Section 54 A enables the Commissioner to implement electronic governance for carrying out the various provisions of this Act and Rules framed thereunder. Amendment in section 60 is also proposed by substituting “website www.haryanatax.com” with “official website” to make it compatible with the electronic governance.

In order to give effect to the above decisions, since the State Legislature of Haryana was not in session, the Haryana Ordinance No. 3 of 2015 was issued by the Governor of Haryana *vide* notification No. Leg.9/2015 published on 3rd August, 2015.

In order to give effect to the above decisions it will be necessary to regularize the Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2015 (Haryana Ordinance No. 3 of 2015).

Hence, this Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,  
Excise and Taxation Minister, Haryana.

Chandigarh:  
The 1st September, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,  
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 12-एच.एल.ए.

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 की उपधारा (1) में,—
  - I. खण्ड (ण) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
 

‘(ण) “इलैक्ट्रॉनिक शासन” से अभिप्राय है, निम्नलिखित के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करना,—

    - (i) कोई प्ररूप, विवरणी, अनुलग्नक, आवेदन, घोषणा, प्रमाण-पत्र, अपील का ज्ञापन, संसूचना, सूचना या कोई अन्य दस्तावेज दायर करना ;
    - (ii) रिकार्ड का सृजन, धारण या परिरक्षण ;
    - (iii) कोई प्ररूप जारी अथवा प्रदान करना इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, आदेश, नोटिस, संसूचना, सूचना या प्रमाण-पत्र भी शामिल हैं; तथा
    - (iv) सरकारी खजाने या सरकारी खजाने द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य भुगतान या उनकी वापसी की रसीद;’
  - II. खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 

‘(ब) “निवेश कर” से अभिप्राय है, किसी वैट व्यवहारी को विक्रय किए गए माल के सम्बन्ध में राज्य को वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि, जिसका ऐसे व्यवहारी को उस द्वारा धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार परिकलित कर के वास्तविक भुगतान के रूप में क्रेडिट अनुमत किया गया है ;’।
3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
 

“8. निवेश कर का अवधारण.— (1) किसी वैट व्यवहारी द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर, उसको ऐसे माल के विक्रय पर राज्य को वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि होगी तथा किसी व्यवहारी की दशा में, जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है अथवा, जैसी भी स्थिति हो, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन समय पर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, इसमें उस दिन जिसको वह कर भुगतान के लिए दायी हो जाता है, उस द्वारा स्टॉक में रखे गए माल (पूँजी माल के सिवाय) के संबंध में इस अधिनियम तथा 1973 के अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया कर भी शामिल है, किन्तु अनुसूची ड में विनिर्दिष्ट माल ऐसे माल के विरुद्ध वर्णित परिस्थितियों में प्रयुक्त या व्ययन के संबंध में वास्तविक रूप में भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होगा :

परन्तु जहां राज्य में खरीदा गया माल अनुसूची ड में वर्णित परिस्थितियों में भागतः तथा अन्यथा भागतः प्रयुक्त या व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर अनुपात में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य में खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर प्राप्त कर लिया गया है किन्तु ऐसे माल अनुसूची ड में वर्णित परिस्थितियों में बाद में प्रयुक्त या व्ययन किए गए हैं, तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर प्रतिवर्तित किया जाएगा।

2003 का  
हरियाणा  
अधिनियम 6 की  
धारा 2 का  
संशोधन।

2003 का  
हरियाणा  
अधिनियम 6 की  
धारा 8 का  
संशोधन।

(2) बीजक माल के विक्रय पर वैट व्यवहारी से प्रभारित कर दर्शाते हुए उसको जारी किया गया कर बीजक उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए ऐसे माल पर भुगतान किए गए कर का सबूत होगा।

(3) जहां किसी व्यवहारी को विक्रय किए गए किसी माल के संबंध में निवेश कर का कोई दावा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में प्रश्नगत किया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी से माल के विक्रय के संबंध में विक्रेता व्यवहारी द्वारा उसको जारी किए गए कर बीजक के अतिरिक्त, विक्रेता व्यवहारी द्वारा विहित प्ररूप तथा रीति में उसे दिए गए प्रमाण-पत्र को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी दावे को केवल तभी अनुज्ञात करेगा यदि ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, उसकी सन्तुष्टि हो गई है कि उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र में दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं तथा राज्य में किसी माल की खरीद पर निवेश कर की राशि किसी भी दशा में इस अधिनियम के अधीन उसी माल के सम्बन्ध में सरकारी खजाने में वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार, समय-समय पर, निवेश कर की संगणना के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत नियम बना सकती है तथा जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं, तो कोई भी निवेश कर ऐसे नियमों की समनुरूपता के बिना संगणित नहीं किया जाएगा।”।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 15क का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 15क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“15क. अनन्तिम निर्धारण.— यदि निर्धारण प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी व्यवहारी ने इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का अपवंचन अथवा परिहार किया है, तो वह व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, चालू वित्त वर्ष की किसी अवधि हेतु तथा अभिज्ञान की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर किसी भी समय, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से अनन्तिम आधार पर ऐसे किसी व्यवहारी का कराधेय आवर्त अवधारित कर सकता है तथा तदनुसार कर के लिए उसका निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार निर्धारित की गई कर राशि धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहारी द्वारा भुगतानयोग्य होगी। इस धारा के अधीन जमा करवाया गया प्रत्येक कर धारा 15 के अधीन किए गए निर्धारण में व्यवहारी के दायित्व के विरुद्ध समायोज्य होगा।”।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 16 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “छह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(ii) व्याख्या में, “हो गया है” शब्दों के स्थान पर, “किया गया है” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 17 का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“17. यदि निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप जो उसके कब्जे में आ गई है, उसे पता चलता है कि किसी वर्ष में किसी व्यवहारी के कारबार का आवर्त निर्धारणाधीन हो गया है या निर्धारण से छूट गया है या निवेश कर या वापसी अधिक अनुज्ञात हो गई है, तो वह उस वर्ष की समाप्ति के आगामी आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व या अन्तिम निर्धारण आदेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, विहित रीति में, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, उस वर्ष के लिए जिसके लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया गया है, व्यवहारी के कर दायित्व को पुनर्निर्धारित कर सकता है तथा पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण प्राधिकारी, यदि व्यवहारी पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसे जारी किए गए नोटिस के निबन्धनों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो उसे अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से पुनर्निर्धारण की शक्ति होगी।”।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 34 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “छह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल अधिनियम के अध्याय X के बाद, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :-

**“अध्याय—Xक**

**इलैक्ट्रॉनिक शासन**

2003 का  
हरियाणा  
अधिनियम 6 में  
अध्याय Xक  
रखना।

**“54क. इलैक्ट्रॉनिक शासन का लागूकरण.—** (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक शासन लागू कर सकता है।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया है, तो आयुक्त, विवरणियों, आवेदनों, घोषणाओं, अनुलग्नकों, अपील का ज्ञापन, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज के लिए प्ररूपों को संशोधित या प्रवर्तित कर सकता है जो इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

(3) आयुक्त, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इलैक्ट्रॉनिक शासन के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अवधि बढ़ा या घटा सकता है।

**54ख. स्वचलीकरण.—** (1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा दिए गए निर्देशों में दिए गए उपबन्ध, इसमें डिजिटल हस्ताक्षरों, इलैक्ट्रॉनिक शासन, आरोपण, अभिस्वीकृति तथा इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड के प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड, सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरों तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध भी शामिल हैं, इलैक्ट्रॉनिक शासन के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रक्रिया को लागू होंगे।

(2) जहां किसी व्यवहारी की कोई विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज, आवेदन, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण-पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, कार्यालय वेब साईट के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज, आवेदन, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण-पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, ऐसे व्यवहारी द्वारा उसकी सहमति से प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।

(3) जहां पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण-पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, किसी स्वचलित डॉटा संसाधन प्रणाली पर तैयार किया गया है और किसी व्यवहारी को भेजा गया है, तो उक्त पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण-पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण-पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, केवल इस आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा कि यह आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

9. मूल अधिनियम की धारा 60 में, “वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम”, शब्दों के स्थान पर, “कार्यालय वैबसाईट” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2003 का  
हरियाणा  
अधिनियम 6 की  
धारा 60 का  
संशोधन।

10. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, की धारा 2(1)(व) 'निवेश कर' को परिभाषित करती है। 'निवेश कर' से अभिप्राय है कि क्रय व्यवहारी द्वारा विक्रय करने वाले व्यवहारी से प्राप्त राज्य को भुगतान की गई 'कर' की राशि तथा क्रय व्यवहारी द्वारा धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में परिकल्पित कर के भुगतान के रूप में क्रेडिट दिया जाता है। क्रय व्यवहारी निवेश कर के दावे के लिये बिक्री करने वाले व्यवहारी से क्रय माल के सबूत के तौर पर घोषणा प्राप्त करके प्रारूप-ग-4 प्रस्तुत करता है। कुछ केसों में यह देखा गया है कि बिक्री करने वाला व्यवहारी सरकारी खजाने में अपनी कर देनदारी जमा नहीं करता, फिर भी धारा 8 के मौजूदा प्रावधानों अनुसार क्रय वैट व्यवहारी को बिक्री करने वाले वैट व्यवहारी द्वारा कर जमा न करवाने के आधार पर निवेश कर के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन मामलों में जहां सरकार को 'कर' वास्तव में अदा नहीं किया गया है निवेश कर के भुगतान के लाभ को इनकार करने के लिये धारा 2(1)(ब), धारा 8(1) तथा धारा 8(2) में 'वास्तव में' शब्द डाल दिया जाए। आगक धारा 8(3) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :

**“तथा राज्य में किसी माल की खरीद पर निवेश कर की राशि किसी भी दशा में इस अधिनियम के अधीन उसी माल के सम्बन्ध में सरकारी खजाने में वास्तविक रूप में भुगतान किए गए कर की राशि से अधिक नहीं होगी।”**

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, की धारा 15क, 16, 17 तथा 34 अन्तरिम निर्धारण, अपंजीकृत व्यवहारियों का निर्धारण, पुनर्निर्धारण तथा निर्धारित मामलों में संशोधन से सम्बन्धित है। इन धाराओं के अधीन निर्धारित एक सीमा अवधि के भीतर निर्धारण अथवा संशोधन किये जाते हैं। राज्य सरकार ने बिल्डर, डिवेलपर के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल एण्ड टी लिमिटेड के केस के निर्णय अनुसार पुनर्निर्धारण या संशोधित करने के लिये अन्तरिम निर्धारण, अपंजीकृत व्यवहारी का निर्धारण, पुनर्निर्धारण तथा संशोधन मामले में सीमा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। माननीय लोकायुक्त हरियाणा ने भी निर्धारण, पुनर्निर्धारण तथा संशोधन के मामलों को सीमा अवधि में लाने बारे कहा है।

3. आबकारी व कराधान विभाग इलैक्ट्रॉनिक शासन की प्रक्रिया को लागू करने के लिये हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथा नियम, 2003, में प्रावधान किया जाना है। पंजीकरण, संशोधन, रद्द, निवेदन, नोटिस, विवरणी कम्प्यूटराइजेशन सिस्टम के अधीन आनलाईन भरी जाएंगी। इलैक्ट्रॉनिक शासन लागू करने के लिए धारा 2(1) में खण्ड (न न) में 'इलैक्ट्रॉनिक शासन' की परिभाषा जोड़ दी जाये। एक नया अध्याय 'भ क' हरियाणा मूल्य वर्धित अधिनियम, 2003, में डाल दिया जाये। प्रस्तावित नये अध्याय में धारा 54क, 54ख डाल दी जाए। धारा 54 के द्वारा अधिनियम तथा नियम के अधीन बने विभिन्न प्रावधानों को इलैक्ट्रॉनिक शासन द्वारा लागू करने के लिये आयुक्त को सक्षम बनाता है। धारा 60 में भी संशोधन किया जाना है, जिसके द्वारा इलैक्ट्रॉनिक शासन को संयोज्य बनाने के लिए 'डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू हरियाणा टैक्स डाट कोम' को 'आफिसल वेबसाइट' के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाये।

उपरोक्त निर्णय के आदेश को कार्यान्वित करने के लिये जबकि हरियाणा विधान सभा का सत्र नहीं था राज्यपाल, हरियाणा 2015 को हरियाणा अध्यादेश द्वारा अधिसूचना संख्या लैज 9/2015, 3 अगस्त, 2015 को हरियाणा अध्यादेश संख्या 3 जारी किया।

उपरोक्त निर्णय को कार्यान्वित के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश क्रमांक 3) को नियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु,  
आबकारी व कराधान मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 1 सितम्बर, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,  
सचिव।